

प्रेस नोट दिनांक 24.07.2024

थाना पट्टी, जनपद- प्रतापगढ़

गैंगरेप के दो आरोपी मुठभेड़ में चढ़े पुलिस के हथ्थे

-मुकदमा दर्ज होने के बाद से पुलिस टीम कर रही थी लगातार तलाश

-स्वाट व थाना पट्टी पुलिस टीम के साथ हुई दोनों शातिरों की मुठभेड़

-थाना पट्टी में नाबालिग के साथ गैंगरेप के आरोप में वांछित थे अभियुक्त

-मुठभेड़ में घायल अभियुक्तों की पहचान वसीम व मकबूल के रूप में हुई

-अपराधी वसीम के बाएं पैर और मकबूल अली के दाएं पैर में लगी गोली

-अभियुक्तों के पास से 02 तमंचा .315 बोर, 02 कारतूस, 02 खोखा बरामद

प्रतापगढ़।

नाबालिग के साथ गैंगरेप करने वाले चार अभियुक्तों में से दो को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा। स्वाट व थाना पट्टी पुलिस टीम के साथ हुई मुठभेड़ में दोनों शातिरों के पैर में गोली लगी है। 19 जुलाई को हुई गैंगरेप की घटना की 22 जुलाई को मिली शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कारवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत करने के निर्देश दिये और महज 24 घंटे के अंदर पुलिस ने दो शातिरों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। मुकदमें में वांछित चल रहे दो अन्य नामजद अभियुक्तों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

नाबालिग द्वारा पुलिस को बताए गये घटनाक्रम के अनुसार 19 जुलाई 2024 को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत कस्बा उडैयाडीह में वह मोबाइल रिपेयरिंग कराने के लिये गई थी। रास्ते में उसके परिचित एक दोस्त द्वारा घर छोड़ने के बहाने मोटर साइकिल पर बैठा लिया गया। किसी न किसी काम के बहाने से परिचित दोस्त ने कई जगह घुमाने के बाद अपने चार साथियों के साथ मिलकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया। घटना से घबराई किशोरी ने तीन दिन बाद थाना पट्टी पर दि0-22.07.2024 को तहरीर देकर आप बीती बताई। घटना की जानकारी होने पर पुलिस अधीक्षक डा. अनिल कुमार ने त्वरित कारवाई करने के निर्देश दिये। इस प्रकरण में पीड़िता से प्राप्त तहरीर के आधार पर

थाना पट्टी में 04 अभियुक्त, वसिम खा, मकबूल, सोनू, लालबाबू के खिलाफ धारा 70(1), 351(3) बी0एन0एस0 व 5g/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया करके। अभियुक्तों की तलाश में पुलिस और स्वाट टीम जुट गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा.अनिल कुमार के निर्देश के बाद से एकशन में चल रही पुलिस को अभियुक्तों के बारे में मुखबिर से सूचना मिली। इस पर थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत कलनियन नहर पुलिया के पास अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) दुर्गेश कुमार सिंह, सीओ रानीगंज विनय कुमार साहनी के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना पट्टी आलोक कुमार मय हमराह, स्वाट टीम प्रभारी ने दिनांक 23.07.2024 को समय 22.58 वांछित अभियुक्त वसीम पुत्र निगार निवासी ग्राम वेलसण्डी थाना पट्टी, प्रतापगढ़ व मकबूल अली पुत्र मंसूर अली निवासी ग्राम वेलसण्डी थाना पट्टी, प्रतापगढ़ को जब पकड़ने का प्रयास किया गया तो अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में वसीम के बाएं पैर में गोली लग गयी व मकबूल अली के दाएं पैर में गोली लग गयी। जिनको चिकित्सकीय ईलाज के लिये सीएचसी पट्टी ले गये जहां से डाक्टरों ने रेफर करके जिला अस्पताल प्रतापगढ़ भेजा गया । पुलिस पर हमला और अभियुक्त से बरामदगी के संबंध में मु0अ0सं0 232/2024 धारा 109 बीएनएस व धारा 3/25/27 आम्स एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया है । साथ ही घटना में संलिप्त अन्य नामजद वांछित अभियुक्तों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

- 1- वसीम पुत्र निगार निवासी ग्राम वेलसण्डी थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़
- 2- मकबूल अली पुत्र मंसूर अली निवासी ग्राम वेलसण्डी थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी- अभियुक्तों के कब्जे से 02 तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस, जिन्दा .315 बोर चेम्बर से, 01 जिन्दा कारतूस जिन्दा .315 बोर, 02 खोका कारतूस .315 बोर घटना स्थल से, 01 मोटरसाईकिल हीरो(HF Deluxe) बरामद किया गया ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक थाना पट्टी आलोक कुमार मय हमराह उ0नि0 इन्द्रेश कुमार, उ0नि0 श्यामसुन्दर गिरी, उ0नि0 लक्ष्मीकान्त, उ0नि0 रमिल कुमार, उ0नि0 अजीत कुमार, का0 पवन कुमार, का0 वीरेन्द्र मौर्य, का0 दीपक कुमार, का0 विपिन कुमार थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
- 2- स्वाॅट/सर्विलांस टीम:- प्रभारी स्वाॅट टीम उ0नि0 श्री सुनील कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 दिनेश कुमार, हे0का0 धनन्जय राय, हे0का0 मोहित यादव, का0 राजेन्द्र कुमार, का0 जागीर सिंह, का0 अरविन्द दूबे ।

बयान- नाबालिग के साथ हुई घटना में दर्ज मुकदमें में वांछित अभियुक्तों की तलाश पुलिस कर रही थी, इसी बीच अभियुक्तों के बारे में जानकारी मिलने पर टीमों ने जब पकड़ने का प्रयास किया तो अभियुक्तों ने फायरिंग कर दी, जवाबी कारवाई में दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है, अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। महिला एवं बच्चों की सुरक्षा और अपराध एवं अपराधियों के प्रति सरकार और शासन की शून्य सहनशीलता की नीति पर चलने को पुलिस कटिबद्ध है।

-डा.अनिल कुमार,

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।

थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़

थाना कन्धई पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार के निर्देशन में थाना कन्धई के उ0नि0 रामअवतार सिंह मय हमराह का0 कपिल चौधरी द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, केश नं0 3473/2008 धारा 323, 504, 506 भादवि से संबंधित वारण्टी अभियुक्त 01. संतोष कुमार पुत्र ब्रह्मनाथ पाण्डेय नि0 उमरपुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र कन्धई के दीवानगंज बाजार से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

01- संतोष कुमार पुत्र ब्रह्मनाथ पाण्डेय नि0 उमरपुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 रामअवतार सिंह मय हमराह का0 कपिल चौधरी थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

अपहरण कर दुष्कर्म करने के संबंध में 01 बाल अपचारी गिरफ्तार।

बाल अपचारी को थाना क्षेत्र अन्तू के बोझवा मोड़ पुलिया के पास से किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आरोपी बाल अपचारी द्वारा दिनांक 17.05.2024 को थानाक्षेत्र अन्तू के वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के संबंध में वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अन्तू में अन्तर्गत धारा 366, 376 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में थाना अन्तू के उ०नि० रविन्द्र कुमार यादव मय हमराह देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 366, 376 भादवि थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 बाल अपचारी को थाना क्षेत्र अन्तू के बोझवा मोड़ पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्ता गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में थाना दिलीपपुर के उ०नि० परशुराम पाण्डेय मय हमराह म०का० वन्दना कुमारी, का० जगदीश प्रसाद द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान केश नं० 2512/2009 धारा 323, 504, 325 भादवि से संबंधित वारण्टी अभियुक्ता 01. अनीता देवी उर्फ सुनीता देवी पुत्री भुलई राम नि० प्रेमधर पट्टी थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्ता का विवरण-

01- अनीता देवी उर्फ सुनीता देवी पुत्री भुलई राम नि० प्रेमधर पट्टी थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० परशुराम पाण्डेय मय हमराह म०का वन्दना कुमारी, का० जगदीश प्रसाद थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।